

कमिश्नर वाणिज्य कर, उर प्रदेश

उपस्थित

श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उर प्रदेश ।

प्रार्थी

सर्वश्री सुपर स्नैक्स प्रा0 लि0, बी-5, साइट-3, मेरठ रोड, इण्ड0 एरिया,
गाजियाबाद ।

प्रार्थना पत्र संख्या

101 / 11

प्रार्थी की ओर से

श्री पवन कुमार गोयल, अधिवक्ता ।

उर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-101 / 11, दिनांक 01.11.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम निम्न प्रश्न पूछा गया है :-

क्या प्रार्थी कम्पनी द्वारा स्वयं के द्वारा अथवा जॉब बेसिस पर किसी दूसरी पार्टी के लिए कर योग्य माल का निर्माण करने पर नेचुरल गैस की खरीद रियायती दर पर फार्म-डी के विरुद्ध की जा सकती है ?

2. फर्म की ओर से श्री पवन कुमार गोयल, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि उनकी फर्म का टिन नम्बर-09889000072 है तथा फर्म कर निर्धारण अधिकारी-4, वाणिज्य कर, गाजियाबाद में पंजीकृत है । फर्म सर्वश्री ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि0 के बिस्कुट का निर्माण एवं बिक्री जॉब वर्क पर करती है । सर्वश्री ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि0 द्वारा प्रार्थी को जॉब वर्क हेतु राँ मैटरियल व पैकिंग मैटेरियल आदि उपलब्ध करा दिया जाता है तथा उनकी फर्म द्वारा बिस्कुट का निर्माण करके बिस्कुट सर्वश्री ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि0 को उपलब्ध करा दिया जाता है जिनके द्वारा उक्त बिस्कुटों पर वाणिज्य कर अदा कर दिया जाता है । सर्वश्री ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि0, प्लॉट नम्बर-1283, दिल्ली मेरठ रोड, गाजियाबाद में ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्पोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, गाजियाबाद के अधिक्षेत्र में पंजीकृत है तथा उनके अधिक्षेत्र में कर भी अदा कर रहे हैं । उनकी फर्म द्वारा बिस्कुट निर्माण हेतु नेचुरल गैस का प्रयोग ओवन में किया जाता है अतः उनकी फर्म को जॉब वर्क पर किये जा रहे करयोग्य माल (बिस्कुट) के निर्माण में प्रयुक्त नेचुरल गैस पर कर की दर का रियायती दर का लाभ उर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-8 (क) के अन्तर्गत मिलनी चाहिए । नेचुरल गैस एक नॉन वैटेबल गुड्स है अतः उनको रियायती दर पर नेचुरल गैस खरीदने की अनुमति होनी चाहिए । अवगत कराया कि कमिश्नर, वाणिज्य कर, उर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत (प्रार्थना-पत्र संख्या-32 / 2010 (प्रतिप्रेषित)) सर्वश्री मोहन स्टील्स लि0, साइट नं0-1, गजौली इण्डस्ट्रियल एरिया, कानपुर-लखनऊ रोड, उन्नाव के वाद में पारित आदेश दिनांक 29.03.11 में फार्म-डी पर की गयी खरीद को उचित ठहराया गया है । अवगत कराया कि उनकी फर्म का व्यापार स्थल फर्म के नाम से है ।

3. उर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-8 (ए) निम्नवत् है:-

8(a)	Natural gas other than Compressed Natural Gas (CNG) when sold to an industrial unit* of a registered dealer for use in the process of manufacture of taxable goods other than non-VAT-goods against certificate prescribed by the Commissioner	M or I	5%
------	--	--------	----

*Note-Industrial Unit means any factory or workshop established on land or building of own or taken on lease.

4. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम के पत्रांक-2232, दिनांक 28.11.11 एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (का0पा0) वाणिज्य कर, गाजियाबाद सम्भाग-ए के पत्र संख्या-2254, दिनांक 25.11.11

सर्वश्री सुपर स्नेक्स प्रा0 लि0 / प्रा0 पत्र सं0-101 / 11 / धारा-59 / पृष्ठ-2

द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री Assessing Authority-cum-Excise and Taxation Officer, Gurgaon and another Vs. East India Cotton manufacturing Co. Ltd. 1981 STC (48) Page 239 के वाद में फार्म-सी के विरुद्ध खरीदे गये माल का प्रयोग जॉब वर्क में प्रयुक्त किये गये कार्य को उचित माना गया है तथा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत फार्म-सी का प्रयोग करने एवं यू0पी0 वैट एक्ट के अन्तर्गत फार्म-डी के प्रयोग को समान माना गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के प्राविधानों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि फार्म-सी का प्रयोग करयोग्य वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग के लिए अपेक्षित नहीं है कि स्वयं के लिए वस्तुओं का निर्माण हो। अतः जॉब वर्क पर बिस्कुट के निर्माण हेतु नेचुरल गैस की खरीद रियायती दर से फार्म-डी के विरुद्ध किया जाना व्यापारी को अनुमन्य है।

5. मेरे द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Assessing Authority-cum-Excise and Taxation Officer, Gurgaon and Another Vs. East India Cotton manufacturing Co. Ltd. 1981 STC (48) page 239 के वाद में दिये गये निर्णय व माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मेसर्स देव इन्टरप्राइजेज बनाम कमिशनर, वाणिज्य कर, उर प्रदेश के उक्त वाद में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.10.2010 का परिशीलन किया गया पाया गया कि उर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-8 (क) में स्वयं निर्माण करने या जॉब वर्क पर निर्माण न करने के सम्बन्ध में कोई अंकन नहीं है। व्यापारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि उनके द्वारा नेचुरल गैस का उपयोग सीधे ओवन में फ्यूल की भाँति बिस्कुट पकाने में किया जायेगा। अतः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Assessing Authority-cum-Excise and Taxation Officer, Gurgaon and Another Vs. East India Cotton manufacturing Co. Ltd 1981 STC (48) page 239 के वाद में पारित निर्णय व अन्य न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में यह माना जाना उचित होगा कि बिक्री हेतु कर योग्य वस्तुओं के स्वयं के निर्माण या जॉब वर्क पर किये गये निर्माण व बिक्री, दोनों प्रकार के निर्माण की स्थिति में, तथा अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या-8 (क) की अन्य शर्तों का पालन होने की स्थिति में, जॉब वर्क पर करयोग्य वस्तु के निर्माण हेतु नेचुरल गैस की रियायती दर पर फार्म-डी से की गयी खरीद अनुमन्य होगी। कमिशनर, वाणिज्य कर, उर प्रदेश, लखनऊ द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत (प्रार्थना-पत्र संख्या-32 / 2010 (प्रतिप्रेषित)) सर्वश्री मोहन स्टील्स लि0, साइट नं0-1, गजौली इण्डस्ट्रियल एरिया, कानपुर-लखनऊ रोड, उन्नाव के वाद में पारित आदेश दिनांक 29.03.11 प्रस्तुत मामले में भी प्रभावी रहेगा।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 23, दिसम्बर, 2011

ह0/ 23-12-11

(चन्द्रभानु)

कमिशनर, वाणिज्य कर,
उर प्रदेश, लखनऊ।